भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.**3112** जिसका उत्तर

शुक्रवार,9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

समुद्री अपरदन

†3112 . श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में तटीय रेखा के समुद्री अपरदन को नियंत्रित करने के संबंध में क्या कार्य योजना है;

(ख) क्या अरब सागर में मिलने वाली नदियों में नमक की मात्रा बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन/ रिपोर्ट कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क):राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर) के माध्यम से सरकार द्वारा कर्नाटक में तटीय रेखा के साथ होने वाले तटीय क्षरण का आकलन किया गया है और पाया गया है कि समुद्र तट का 51.1%हिस्सा स्थिर है, तट का 26.2%बढ़ रहा है और तट का 23.7%हिस्से का अपरदन हो रहा है। तदनुसार,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (सीआरजेड अधिसूचना) के आधार पर तटीय प्रबंधन योजना (एसएमपी) तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है, ताकि तटीय अपरदन मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारों की मदद की जा सके और साथ ही हितधारक आवश्यकताओं पर समग्र रूप से विचार करते हुए दीर्घकालीन समुद्र अपरदन संरक्षण कार्यों में सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) और (ग): समय के साथ-साथ होने वाले जल स्तर के बदलावों, समुद्र स्तर के ऊंचा उठने और तटीय बदलावों (अपरदन अथवा अभिवृद्धि) के कारण भूमि क्षेत्र पर बाढ़ की मात्रा को देखते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एसओआई) द्वारा एक 'खतरे की रेखा'चिन्हित की गई है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) को सीआरजेड अधिसूचना के साथ संरेखित किया जा रहा है, जिसमें ऐसे अपरदन वाले क्षेत्रों के लिए उच्च, मध्यम और निम्न अपरदन खंडों सहित मानदंडों को यथासूचीबद्ध किया गया है।

*****